राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर (रचोली) तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2006 स 3/2013

भाग—एक

1 गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के पश्चात नवीनतम स्थिति निम्न वर्णित है। अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करें।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/97

1	पैरा—9	अनिर्णीत
2	पैरा—13	अनिर्णीत

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/2006

1	पैरा—3	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही पश्चात)
2	पैरा—4	निर्णीत	(₹1807 की राशि रोकड़ पृष्ठ 89 ₹155 दिनांक 22.12.06, पृष्ठ 100 ₹203 दिनांक 26.5.07, पृष्ठ 101 ₹97 दिनांक 2.6.07, पृष्ठ 104 ₹297, दिनांक 14.7.07, पृष्ठ 113 ₹91 दिनांक 24.9.07 तथा पृष्ठ 104 ₹964 दिनांक 07.09.13 वसूली उपरान्त)
	पैरा—5 (क)	निर्णीत	(₹321 की वसूली दिनांक 13.7.07 रोकड़ पृष्ठ 104 के पश्चात)
	पैरा—5 (ख)	निर्णीत	(₹872 की वसूली करके चालान संख्या 15 दिनांक 6.9.13 के अनुसार सरकारी कोष में जमा पश्चात)
	पैरा—5 (ग)	निर्णीत	(₹900 विलम्ब शुल्क की राशि गणना करके चालान संख्या 22 दिनांक 7.9.13 के अनुसार सरकारी कोष

		में जमा पश्चात)
पैरा–6	अनिर्णीत	
पैरा–7	अनिर्णीत	
पैरा–8	अनिर्णीत	
पैरा–9	निर्णीत	(₹1237/– की राशि दिनांक 7.3.07 को रोकड़ वही पृष्ठ 110 में जमा पश्चात)
पैरा–10	निर्णीत	(₹35 ब्याज की राशि दिनांक 13.7.07 को रोकड़ वही पृष्ठ 104 में जमा पश्चात)
पैरा–11	अनिर्णीत	
पैरा–12	अनिर्णीत	
पैरा–13	निर्णीत	(निदेशक तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या 1016 दिनांक 5.11.08 की कार्योत्तर स्वीकृति पश्चात)
पैरा–14	निर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 3 पर आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करने के पश्चात)
पैरा–15	अनिर्णीत	
पैरा–16	अनिर्णीत	
पैरा–17	अनिर्णीत	
पैरा–18	निर्णीत	(निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 1015 दिनांक 15.11.08 के अनुसार)
पैरा–19 (क)	अनिर्णीत	
पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–20	अनिर्णीत	
पैरा–21	अनिर्णीत	
पैरा–22	निर्णीत	(राशि 459 दिनांक 30.6.06 को नीलामी पश्चात व राशि जमा रोकड़ पृष्ठ 73 के पश्चात)
पैरा–23	अनिर्णीत	

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

संस्था के लेखा अवधि 4/2006 से 3/2013 के छात्र निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 16.8.2013 से 7.9.13 तक रामपुर में किया गया। विस्तृत जॉच हेतु चयनित किये गए मासों का विवरण निम्न वर्णित हैः—

अवधि	विस्तृत आय जॉच हेतु चयनित मास	विस्तृत व्यय की जॉच हेतु चयनित मास
2006—07	8/06	1/07
2007—08	7/07	12/07
2008—09	8/08	8/08
2009—10	8/09	8/09
2010—11	8/10	3/11
2011—12	7/11	10/11
2012—13	2/13	2/13

अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्थान में निम्नलिखित आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यरत रहेः—

क्रमांक	अवधि	नाम
1	1.4.06 से 23.4.09	श्री ध्यान सिंह नेगी
2	24.4.09 से 31.5.09	श्री श्याम लाल
3	01.6.09 से 10.7.09	श्री राज कुमार ठाकुर
4	13.7.09 से 31.3.13	श्री राकेश कपूर

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है संस्था द्वारा अभिलेख उपलब्ध न करवाने व गलत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

संस्था के लेखों अवधि 4/2006 से 3/13 तक की जॉच हेतु अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹10200/— बनती है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर—17/13 दिनांक 6.9.13

द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु संस्थाध्यक्ष से कहा गया जिसे बैंक ड्राफ्ट संख्या 375029 दिनांक 7.9.13 द्वारा भेज दिया गया।

4 <u>वित्तीय स्थितिः–</u>

संस्था की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित है।

<u>(क) (1) प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, विवरण पुस्तिका शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि को अनाधिकृत रूप से निधि में जमा करनाः–</u>

अंकेक्षण के दौरान वित्तीय स्थिति की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क विवरण पुस्तिका शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि को अनाधिकृत रूप से छात्र निधि की रोकड़ वही में जमा करवाया गया तत्पश्चात विलम्ब से सरकारी कोष में जमा करवाया गया जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपतिजनक भी है। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में उक्त शुल्क की राशि को प्राप्ति के आगामी कार्य दिवस में सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	शुल्क का नाम	अवधि जिस हेतु शुल्क निधि रोकड़ वही में दर्ज किया गया
1	प्रवेश शुल्क	वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11
2	शैक्षणिक शुल्क	वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11
3	विवरण पुस्तिका शुल्क	वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2010–11
4	रजिस्ट्रेशन शुल्क	वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12

<u>(ख) बचत खाते से प्राप्त ब्याज की राशि का विभिन्न छात्र निधियों में वर्गीकरण न करनाः–</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र निधि लेखों के संचालन हेतु बचत खाते से प्राप्त ब्याज की राशि को विभिन्न निधि खातों में वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है प्राप्त ब्याज की राशि की प्रविष्टी किसी वर्ष दो खातों में व किसी वर्ष एक ही खाते में की जा रही है जोकि अनियमित है। अतः निधि के संचालन हेतु बैंक में अलग–2 बचत खाता खोला जाये अन्यथा प्राप्त ब्याज की राशि को विभिन्न निधि में वर्गीकृत किया जाये ताकि विभिन्न निधि को

जमा राशि के अनुसार ब्याज की प्राप्ति हो सके तथा इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ग) ₹10880/– बचत खाते से प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड़ वही में लेखाकिंत न करनाः–

बैंक समाधान विवरण दिनांक 31.3.2013 की पड़ताल पर पाया गया कि बचत खाता संख्या 6268 से प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया है जिसकी प्रविष्टी रोकड़ वही में सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 **(i)** निवेशः–

बचत खाते में पड़ी अधिक्य (**Surplus**) राशि को लम्बी अवधि हेतु सावधि जमा योजना में निवेश न करने से ब्याज की सम्भावित हानिः–

हिमाचल प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के नियम 4 (ख) के अनुसार छात्र कल्याण निधि मे पड़े अधिक्य (Surplus) राशि को लम्बी अवधि हेतु निवेश किया जाना आपेक्षित है ताकि निवेश से अधिक ब्याज की प्राप्ति की जा सके। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर के पास दिनांक 31.3.2013 को ₹1095937/– की राशि जमा थी जिसमें से केवल छात्रावास निधि से ₹77236/– की राशि सावधि जमा योजना में निवेश की गई बाकि राशि बचत खाते में ही जमा की गई। अतः बचत खाते में जमा अधिक्य (surplus) राशि को सावधि जमा योजना में निवेश न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी से उक्त अनियमितता को नियमित करवाया जाए। भविष्य में अधिक्य राशि को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाए ताकि अधिक ब्याज की प्राप्ति की जा सके।

(ii) निवेश रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर द्वारा दिनांक 4.1.2007 को सावधि जमा योजना में ₹800000.00 की राशि निवेश की गई उक्त निवेश को दिनांक 6.1.11 को परिपक्वता से पूर्व भुनाया गया तथा ₹200000/– की राशि व्यय हेतु आहरण की गई व दिनांक 6.1.11 को ₹908954/– की

राशि सावधि जमा योजना में पुनः निवेश की गई जिसे पुनः समय से पूर्व दिनांक 1.10.11 को परिपक्वता राशि ₹953613/– के रूप में आहरण किया गया।

संस्थान के द्वारा सावधि जमा योजना रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है न ही सावधि जमा योजना राशि की छाया प्रति रखी गई जिस कारण सावधि जमा योजना में निवेश की राशि पर प्राप्त ब्याज की पड़ताल नहीं की जा सकी व समय से पूर्व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को भुनाने जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि के बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

सावधि जमा योजना में निवेश सुनिश्चित किया जाये तथा सावधि जमा योजना के रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 <u>₹27540/– छात्र कल्याण निधि की राशि विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त न करनाः–</u>

अंकेक्षण के दौरान प्रवेश शुल्क रजिस्टर व निधि मॉग एवं पूर्ति रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि विभिन्न शैक्षणिक वर्ष में प्रायोजित सीट के अन्तर्गत रामपुर प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से छात्रों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया परन्तु उन संस्थानों से जहॉ से छात्रों को प्रशिक्षण हेतु भेंजा गया, निधि की राशि रामपुर प्रशिक्षण संस्थान को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। निम्नविवरणानुसार अवधि 3/13 तक विभिन्न संस्थानो से ₹27540/– की राशि वसूली हेतु शेष है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि को विभिन्न संस्थानो से प्राप्त करके छात्र निधि में जमा करवाया जाए।

शैक्षणिक वर्ष	व्यवसाय का नाम	राशि जहॉ से प्राप्त की जानी है	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	वसूल योग्य राशि प्रति छात्र	कुल वसूल योग्य राशि
2008–09	पलम्बर	आई0टी0आई0 चम्बा	2	2350	4700
2008–09	पलम्बर	आई0टी0आई0 रिकांगपिओं	1	2350	2350
2008–09	पलम्बर	आई0टी0आई0	4	2350	9400

		शमशी			
2008–09	पलम्बर	आई0टी0आई0 ऊना	1	2350	2350
2008–09	पलम्बर	आई0टी0आई0 मण्डी	1	2350	2350
2010–11	सिलाई प्रशिक्षण	आई0टी0आई0 शिमला	1	2680	2680
2011–12	इलैक्ट्रिशन	आई0टी0आई0 रिकांगपिओं	1	3710	3710
				कुल राशि	₹27540

7 <u>जुर्माना निधि ₹5510/– की कम वसूली:–</u>

विवरण पुस्तिका के नियम 11.5 के अनुसार प्रशिक्षणार्थी के अनुपस्थिति की स्थिति में अवधि 2006–07 से 2011–12 के दौरान आधे दिन की अनुपस्थिति हेतु ₹51 व पूरे दिन की अनुपस्थिति हेतु ₹10 व अवधि 2012–13 के दौरान आधे दिन की अनुपस्थिति हेतु ₹10 व पूरे दिन की अनुपस्थिति हेतु ₹20 जुर्माना शुल्क की वसूली का प्रावधान है परन्तु निम्नलिखित मामलों में प्रशिक्षणार्थियों से ₹5510/– की कम वसूली की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

व्यवसाय का नाम	माह जिसमें कम वसूली की गई	प्रशिक्षणार्थी की सं0	अपेक्षित वसूली	की गई वसूली	कम वसूली
कटिंग व सिलाई	10/08	20	425	305	120
–यथोपरि–	5/10	21	440	370	70
मोटर मेकेनिक	9/06	17	320	290	30
–यथोपरि–	11/06	16	585	415	170
–यथोपरि–	7/09	18	950	740	210
फिटर	12/07	18	300	250	50

इलैक्ट्रिशन	8/12	19	1160	580	580
–यथोपरि–	9/12	19	760	380	380
–यथोपरि–	10/12	19	1120	560	560
–यथोपरि–	11/12	19	1000	500	500
–यथोपरि–	12/12	19	1520	760	760
–यथोपरि–	1/13	19	2110	1055	1055
–यथोपरि–	2/13	19	730	365	365
–यथोपरि–	3/13	19	1320	660	660
				कुल राशि	**₹5510**

8 जुर्माना निधि ₹4400/– की राशि को देरी से जमा करनाः–

अंकेक्षण के दौरान जुर्माना निधि से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त जुर्माना निधि की राशि को छात्र कल्याण निधि में देरी से जमा करवाया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है नियमानुसार प्राप्त राशि को उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में जमा किया जाना आपेक्षित है। जुर्माना निधि की राशि को दरी से जमा करवाने से छात्र कल्याण निधि को एक तो ब्याज का नुकसान उठाना पड़ा तथा उक्त राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः निम्न विवरणानुसार ₹4400/– की राशि को देरी से जमा करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से परिहार किया जाए।

व्यवसाय का नाम	राशि प्राप्ति की तिथि	राशि जमा की तिथि	राशि जो देरी से जमा की गई	निरीक्षक का नाम जिसने राशि देरी से जमा करवाई
प्लम्बर	10.7.2010	10.8.10	315	श्री उमेश
मोटर मेकेनिक	10.7.08	4.08.08	730	श्री राजेन्द्र
फिटर	10.7.08	10.09.08	600	श्री विजय
फिटर	10.8.08	10.9.08	800	श्री विजय
मोटर मेकेनिक	10.10.08	9.3.09	740	श्री राजेन्द्र

–यथोपरि–	10.11.08	9.3.09	415	श्री राजेन्द्र
–यथोपरि–	10.12.08	9.3.09	340	श्री राजेन्द्र
–यथोपरि–	10.01.09	9.3.09	460	श्री राजेन्द्र
		कुल राशि	₹4400	

9 ₹600.00 छात्रावास प्रतिभूति की राशि को जमा न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान छात्रावास शुल्क प्राप्ति की पड़ताल पर पाया गया कि रसीद संख्या 2010 दिनांक 22.8.06 द्वारा श्री खेमराज से ₹1150/– की राशि प्राप्त की गई जिसमें से केवल ₹550/– की राशि को बैंक खाते में जमा करवाया गया तथा ₹600/– की प्रविष्टि न तो रोकड़ वही में दर्ज की गई न ही उक्त राशि को बैंक खाते में जमा करवाया गया। अतः ₹600/– की राशि को बैंक खाते में जमा न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 छात्र निधि से प्राप्त राशियों को अनियमित रूप से हस्तगत रखनाः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर की रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि छात्र कल्याण निधि की राशि को अनियमित रूप से हस्तगत रखा गया नियमानुसार प्राप्त राशि को उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु निम्नलिखित मामलों में संस्थान द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसमें राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता अत्याधिक मात्रा में राशि को हस्तगत रखना एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मामले में आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	दिनांक जिस दिन राशि हस्तगत थी	हस्तगत राशि	रोकड़ वही पृ0	राशि को बैंक में जमा करने की तिथि
1	3.8.2006	2513	78	7.8.2006
2	4.8.2007	6472	110	16.8.2007

3	21.8.2007	9022	110	6.9.2007
4	14.7.2008	150265	126	23.7.2008
5	1.8.2008	25985	129	5.8.2008

छात्र कल्याण निधिः–

11 **वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 3.10.11 ₹695665 रोकड़ पृष्ठ 33 व 34**

निदेशक तकनीकी शिक्षा बोर्ड सुन्दरनगर के पत्र संख्या एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच0बी0 (2)/फिक्सड/2620–2011–37908–935 दिनांक 24.9.2011 के अनुसार ₹695665.00 की राशि का भुगतान निम्नलिखित व्यक्तियों को वेतन की बकाया राशि हेतु किया गया।

भुगतान जिसे किया गया	भुगतान की गई राशि (₹)
श्री बिहारी लाल माली	235483
श्री लीला दत्त चौकीदार	233802
श्री ध्यान सिंह स्टोर एटेन्डर	226380
कुल भुगतान	**695665**

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल पर पाया गया कि किया गया व्यय छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं था। ₹695665/– की राशि का भुगतान संस्था के कर्मचारियों के वेतन हेतु किया गया। ₹695665/– की राशि का भुगतान कर्मचारियों के वेतन के रूप में भुगतान करने से उक्त राशि तथा उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज का नुकसान उठाना पड़ा। अतः उक्त भुगतान को नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये व उक्त राशि की पूर्ति उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र कल्याण निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 **वाऊचर संख्या 58 दिनांक 17.5.08 रोकड़ पृष्ठ 123 ₹4492/–**

₹4492/–की राशि का भुगतान महाजन स्पोर्टस एवं गिफ्ट केन्द्र शिमला को उनके बिल संख्या 1578 दिनांक 21.4.08 की एवज में निम्न क्रय करने हेतु किया गया

(I)	बॉलीबॉल 4@450	1800
(II)	बास्केटबॉल 2 @ 260	520
(III)	बैडमिन्टन रैकेट 6@ 150	900
(IV)	शटल बॉक्स 6 @ 100	600
(V)	नी कैप 10 @ 25	250
(VI)	एन्कलैट 10@ 25	250
	कुल राशि	4320
	वैट 4**%**	172
	कुल राशि	**4492**

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(I) भुगतान की एवज में रसीद प्राप्त नहीं की गई जिसे प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

(II) भुगतान चैक के स्थान पर नगद किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(III) हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के अनुसार ₹3000/– की राशि से अधिक क्रय हेतु कुटेशन आमन्त्रित की जानी आपेक्षित थी परन्तु उपरोक्त क्रय हेतु कुटेशन नही ली गई जोकि वित्त नियम 2009 की अवहेलना है। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

13 छात्र कल्याण निधि से ₹53687/– की राशि का अनाधिकृत भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ₹ की राशि का अनाधिकृत रूप से व्यय किया गया छात्र कल्याण निधि के नियमानुसार उक्त निधि की राशि का भुगतान छात्र कल्याण हेतु किया जा सकता है परन्तु संस्थान द्वारा ₹53687/– की राशि का अनाधिकृत व्यय किया गया जोकि नियमों की अवहेलना है। अतः ₹53687/–के अनाधिकृत व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। 53687/– के अनाधिकृत व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	व्यय की गई राशि	उद्देश्य जिस हेतु व्यय किया गया
1	378	5.4.2006	5439	बिजली बिल भुगतान
2	384	27.5.2006	1996	—यथोपरि—
3	393	27.'7.2006	3215	—यथोपरि—
4	401	19.8.2006	942	पानी बिल भुगतान
5	6	18.4.2007	880	—यथोपरि—
6	13	5.6.2007	3956	बिजली बिल भुगतान
7	22	27.7.2007	5597	बिजली बिल भुगतान
8	30	15.9.2007	484	पानी बिल भुगतान
9	91	27.11.2008	532	—यथोपरि—
10	104	21.2.2009	19912	बिजली बिल भुगतान
11	174	24.4.2010	5004	—यथोपरि—
12	175	24.4.2010	730	पानी बिल भुगतान
13	406	22.9.2006	500	पैट्रोल पर व्यय
14	शून्य	30.7.2012	1000	डीजल पर व्यय
15	शून्य	28.8.2012	2000	डीजल पर व्यय
16	शून्य	13.9.2012	1500	पैट्रोल पर व्यय
		कुल राशि	₹53687	

14 छात्र कल्याण निधि ₹600855/— की कम प्रतिपूर्ति करनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार के छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के नियम 31 के अनुसार छात्र कल्याण के विशेष महत्व हेतु निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुमोदन पर निधि के व्यय का प्रावधान है तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एस0टी0वी0 (टी0ई0)/एच0सी0 (1) 2010—20676—755 दिनांक 31.5.2011 के अनुसार ट्रेनर व अनुदेशक को मानदेय के भुगतान की प्रतिपूर्ति एस0ओ0ई0—99 सरकारी कोष से की जानी आपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा विभिन्न उद्देश्य हेतु छात्र कल्याण निधि से व्यय तो किया जा रहा है परन्तु समय पर उसकी प्रतिपूर्ति सरकारी कोष से नहीं हो रही

परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.13 तक सरकारी कोष से ₹600855/– राशि की प्रतिपूर्ति शेष थी छात्र कल्याण निधि में राशि की प्रतिपूर्ति समय पर न होने से संस्थान को उस राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि ₹660855/– की राशि की प्रतिपूर्ति शीध्र करके उक्त राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ पृ0	दिनांक	व्यय की गई राशि	प्रतिपूर्ति की गई राशि	कम प्रतिपूर्ति की गई राशि (₹)	उद्देश्य जिस हेतु राशि व्यय की गई
1	10	2.6.11	38467	–	38467	वेतन पर व्यय
2	12	6.7.11	36842	–	36842	–यथोपरि–
3	24	6.8.11	38458	–	38458	–यथोपरि–
4	36	19.10.11	74288	–	74288	–यथोपरि–
5	36	3.11.11	24012	–	24012	–यथोपरि–
6	38	1.12.12	24012	–	24012	–यथोपरि–
7	41	4.1.12	27270	–	27270	–यथोपरि–
8	42	2.2.12	28200	–	28200	–यथोपरि–
9	44	1.3.12	28200	–	28200	–यथोपरि–
10	47	7.4.12	26064	–	26064	–यथोपरि–
11	49 से 56	1.8.12	114936	100000	14936	–यथोपरि–
12	65	1.9.12	26380	–	26380	–यथोपरि–
13	67	3.10.12	48667	–	48667	–यथोपरि–
14	71	1.11.12	42300	–	42300	–यथोपरि–
15	78	12.2.13	84600	–	84600	–यथोपरि–
16	80	18.2.13	9752	–	9752	–यथोपरि–
17	82	5.3.13	26939	–	26939	–यथोपरि–
18	92	24.1.07	19505	18037	1468	बिजली बिल व्यय
				कुल राशि	**600855**	

15 ₹163557/– की राशि को अनावश्यक रूप से छात्र कल्याण निधि में जमा व भुगतान करना:–

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के अनुसार छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के अनुसार छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में छात्रों से प्राप्त निधि की प्राप्ति व भुगतान का विवरण दर्ज किया जाना आपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान रोकड़ वही की पड़ताल पर पाया गया कि छात्रो से निधि की प्राप्ति व भुगतान के अतिरिक्त अन्य राशियों की प्राप्ति व भुगतान का विवरण भी रोकड़ वही में दर्ज किया जा रहा है जोकि छात्र कल्याण निधि के नियमों की अवहेलना है। अतः अनावश्यक रूप से विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त राशि का विवरण रोकड़ वही में दर्ज करने का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए। ₹163557/– की राशि को अनावश्यक रूप से रोकड़ वही में दर्ज करने का विवरण निम्न प्रकार से है।

निधि का नाम जिसमें राशि जमा करवाई गई	राशि प्राप्ति की तिथि	राशि जहॉ से प्राप्त हुई	राशि के भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि (₹)	उद्देश्य जिस हेतु राशि की प्राप्ति व भुगतान किया गया
परीक्षा निधि	20.12.07	सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला	20.12.07	5740	परीक्षा डयूटी हेतु पारिश्रमिक
छात्र कल्याण निधि	10.3.11	–यथोपरि–	10.3.11	2330	–यथोपरि–
छात्र कल्याण निधि	21.2.13	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़	21.2.13	155487	छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान बजीफे की राशि
			कुल राशि	₹163557	

16 **वाऊचर संख्या 129 दिनांक 1.8.09 रोकड़ पृष्ठ 148 ₹32880/–**

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार ₹32880/– की राशि का भुगतान विभिन्न शिक्षकों को वेतन के भुगतान परीक्षा निधि व बिजली पानी खपत निधि से किया गया छात्र कल्याण निधि के नियम 5 (थ) व निदेशक तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या एस0टी0वी0 (आई0टी0) एच0बी0 (4)–9/2000–12864 दिनांक 19.5.2007 के अनुसार उक्त भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जाना आपेक्षित था परन्तु संस्थान द्वारा उक्त भुगतान परीक्षा निधि व बिजली पानी खपत निधि से किया गया जोकि नियमों की अवहेलना है। अतः उक्त अनियमितता भुगतान का बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व मामले में नियमानुसार आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निधि का नाम जिससें भुगतान किया गया	राशि जिसे भुगतान की गई	भुगतान का उद्देश्य	भुगतान की गई राशि (₹)
परीक्षा निधि	श्रीमती सरिता कुमारी	माह 7/09 का वेतन	8220
परीक्षा निधि	श्रीमती मुदर्राना कुमारी	–यथोपरि–	8220
बिजली पानी निधि	श्री देविन्द्र	–यथोपरि–	8220
बिजली पानी निधि	श्रीमती ज्योति बाला	–यथोपरि–	8220
		कुल राशि	32880

17 **छात्र कल्याण निधि से प्राप्त राशि का सीधे तौर पर भुगतानः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करके सीधे तौर पर भुगतान किया जाता है जबकि नियमानुसार प्राप्त राशि को पहले बैंक में जमा किया जाना आपेक्षित था तत्पश्चात आवश्यकतानुसार भुगतान हेतु राशि का आहरण किया जा सकता है प्राप्त राशि को सीधे तौर पर खर्च करना अनियमित ही नहीं अपितु वित्तीय नियमों का उल्लंघन भी है। इस प्रकार अपनाई गई अनियमिततओं के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

राशि प्राप्ति की तिथि	प्राप्त की गई राशि (₹)	बैंक में जमा की गई राशि (₹)	सीधा भुगतान किया गया (₹)
9.4.07	1710	1263	447
10.5.06	3260	2626	634
3.8.06	5400	1161	4239
14.7.07	75497	69370	6127
1.9.07	7000	—	7000
6.11.08	14680	13146	1534
27.4.10	3099	2069	1030
28.5.10	11464	808	10656

18 <u>कमरा किराया (रूम रेन्ट) ₹40800/— की राशि को सरकारी कोष में जमा न करना:—</u>

अंकेक्षण के दौरान छात्रावास निधि की रोकड़ वही के पड़ताल पर पाया गया कि अवधि 2006—07 से 2011—12 के दौरान छात्रावास कमरे के किराये की राशि को रोकड़ वही में दर्ज किया जा रहा है जबकि नियमानुसार उक्त राशि को निधि के मॉग एवं पूर्ति रजिस्टर से सरकारी कोष में जमा किया जाना आपेक्षित है। परिणामस्वरूप निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में ₹40800/— छात्रावास कमरे के किराये की राशि को सरकारी कोष में जमा भी नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि का सरकारी कोष में अविलम्ब जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

शैक्षणिक वर्ष	छात्रावास कमरे के किराये की राशि की प्राप्ति (₹)	सरकारी कोष में जमा की गई राशि	कम जमा की गई राशि (₹)
2007—08	30600	24600	6000
2008—09	34800	26400	8400

2009—10	30000	25200	4800
2010—11	23400	3600	19800
2011—12	1800	शून्य	1800
		कुल राशि	**40800**

19 <u>छात्रावास प्रतिभूति निधि ₹6000/— वापिस करने बारेः—</u>

<u>वाऊचर संख्या शून्य राशि ₹6000 रोकड़ पृष्ठ 29 दिनांक 30.8.08</u>

अंकेक्षण के दौरान छात्रावास रोकड़ वही व छात्रावास प्रतिभूति रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 30.8.2008 को छात्रावास छोड़ने के उपरान्त 10 छात्रों को ₹600/— की दर से ₹6000/— की राशि प्रतिभूति के रूप में लौटाई गई परन्तु प्रतिभूति रजिस्टर में छात्रों से प्रतिभूति की प्राप्ति का कोई भी विवरण दर्ज नहीं किया गया विवरण पुस्तिका के नियमानुसार छात्रों के छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर ही उन्हें प्रतिभूति राशि वापिस लौटाई जा सकती है। एक वर्ष तक यदि छात्र प्रतिभूति राशि का दावा नहीं करते तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि को जब्त किया जाएगा परन्तु प्रतिभूति रजिस्टर में छात्रों से प्रतिभूति प्राप्ति की तिथि व संस्थान छोड़ने का विवरण दर्ज नहीं किया गया है जिससे ₹6000.00 प्रतिभूति लौटाने की उचित पड़ताल नियमों के दृष्टिगत नहीं की जा सकी। छात्रो से प्रतिभूति की प्राप्ति की तिथि व संस्थान छोड़ने का पूर्ण विवरण दर्ज करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

20 <u>प्रतिभूति रजिस्टर का उचित रख रखाव न करनाः—</u>

संस्थान के अवधि 1.4.2006 से 31.3.2013 के संस्थान प्रतिभूति व छात्रावास प्रतिपूर्ति रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त रजिस्टर में प्रविष्टियां छात्रों को प्रतिभूति राशि लौटाने पर ही की गई है। नियमानुसार छात्रों से प्रतिभूति की राशि प्राप्त करते समय वापिस लौटाते समय प्रविष्टियॉ रजिस्टर में व्यवसाय अनुसार की जानी आपेक्षित थी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस छात्र/छात्रा से कब—2 कितनी—2 राशि प्राप्त हुई तथा कितनी—2 राशि वापिस लौटाई गई तथा कितनी राशि वापिस लौटाई जानी शेष है। विवरण पुस्तिका के नियम 4.2 के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास/संस्थान छोड़ने के एक वर्ष के भीतर

प्रतिभूति राशि को वापिस लेना होगा अन्यथा प्रतिभूति की राशि को जब्त किया जायेगा। अतः संस्थान द्वारा प्रतिभूति रजिस्टर का उचित रख रखाव न होने से प्रतिभूति राशि वापिस लौटाने की उचित प्रकार से पड़ताल नहीं की जा सकी इसलिए प्रतिभूति राशि रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 <u>रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–</u>

संस्थान के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्रो से निधियों एवं आय की प्राप्ति हेतु रसीदों के लिए रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है स्टॉक रजिस्टर के अभाव में रसीद बुकों के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। अतः अपेक्षित रजिस्टर का रख रखाव जिसमें रसीद बुकों की प्राप्ति का स्त्रोत एवं मात्रा रसीद बुकों के क्रमांक सहित/दर्ज करने के उपरान्त रसीद बुकों के जारी करने की मात्रा (क्रमांक व प्राप्तकर्ता के नाम व हस्ताक्षर सहित) दर्ज करने के अतिरिक्त संस्थान के पास शेष बची हुई रसीद बुकों की मात्रा दर्ज की जाए व सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी किया जाना सुनिश्चित करे।

22 <u>स्टॉक रजिस्टर का उचित रख रखाव न होनाः–</u>

संस्थान के छात्र कल्याण निधि के अवलोकन पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियॉ मदवार न करके क्रय वार की गई है जिससे यह स्पष्ट नहीं है संस्थान के पास अमुक मद की कितनी मात्रा शेष है। तथा संस्थान के पास एक विशेष तिथि को किस मद की कितनी मात्रा उपलब्ध थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार किया जाना व सक्षम अधिकारी से स्टॉक प्रविष्टियां प्रमाणित करवाई जानी सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

23 <u>स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना आपेक्षित है। अतः नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 **<u>लघु आपति विवरणिकाः–</u>** लघु आपत्तियों का निपटान अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया। लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

25 **<u>निष्कर्षः–</u>** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पंजीकृत

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(11)(1) 178/88, दिनांक,1.02.2014 शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर बुशैहर जिला शिमला, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस कार्यालय को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. सचिव तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 शिमला–171002
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर मण्डी हि0प्र0
4. श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा.......................

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.